मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-3

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

मंगलवार, दिनांक 3 जनवरी, 2006 (पौष 13, 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 15 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(प्रश्न संक्या 16 (क्रमांक-1710) पर चर्चा के दौरान डॉ. सुनीलम्, सदस्य के साथ सदस्य श्री मनमोहन शाह बट्टी, श्री राम लखन शर्मा, डॉ आई.एम.पी. वर्मा, श्री हमीद काजी, डॉ सुनीलम् को सदन में अपनी बात न रखने देने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 137 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 140 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(सदन की अध्यक्षीय दीर्घा में जोधपुर, राजस्थान के सांसद श्री जसवंत सिंह की उपस्थिति पर सदन द्वारा उनका स्वागत किया गया)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री राजेश पटेल, सदस्य ने सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बड़वानी जिले में टीचिंग एवं लर्निग के लिये दी गई राशि में भ्रष्टाचार होने,

(2) श्री गजराजसिंह सिकरवार, सदस्य ने सुमावली विधानसभा के अनेक ग्रामों में खड़ी फसलों को जानवरों द्वारा नष्ट किये जाने,

(3) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य ने होशंगाबाद जिले की इटारसी तहसील के ग्राम धोखेड़ा में घास की भूमि पर अतिक्रमण होने,

(4) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र के विकास खण्ड नई गढ़ी में स्वीकृत पेयजल की राशि से घटिया स्तर का कार्य होने,

(5) पं. रमेश दुबे, सदस्य ने छिन्दवाड़ा जिले में भारी संख्या में भूमि सीमा चिन्ह विलुप्त होने,

(6) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने लोक निर्माण संभाग श्योपुर में आवासीय क्वार्टरों के निर्माण हेतु बुलाई गई निविदा में अनियमितता होने,

(7) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य ने नये भोपाल क्षेत्र में एक सिविल अस्पताल बनाये जाने, तथा

(8) श्री इन्द्रजीत कुमार पटेल, सदस्य ने सीधी जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालय/छात्रावासों में कार्यरत कर्मचारियों को कई माह से वेतन भुगतान न किये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री गोपाल भार्गव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने -

(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का 31वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005, तथा

(ख) बांट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम,1985 (क्रमांक 54 सन् 1985) की धारा 72 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-13-45/99/उन्तीस-2, दिनांक 17 मार्च 2005,

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री ने -

(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार -

(i) मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005,

(ii) मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 1 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2005,

(iii) मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च,2005 को समाप्त अवधि हेतु,तथा

(ख) विद्युत अधिनियम,2003 की धारा 185 की उपधारा (2) (द) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल जबलपुर के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 2002-2003 एवं 2003-2004,

पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा, रामलखन शर्मा एवं श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य ने हरदा एवं होशंगाबाद जिलों में किए गये नसबंदी आपरेशन में चिकित्सकों की लापरवाही से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

श्री अजय विश्नोई, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य की सदन से अनुपस्थिति के कारण राजगढ़ नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से जहरीली शराब बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी ध्यानाकर्षण की सूचना प्रस्तुत नहीं हो सकी)

5. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

(1) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 47-मलेहरा की सदस्या सुश्री उमा भारती,

(2) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 34-मुंगावली के सदस्य श्री गोपाल सिंह चौहान (डग्गी राजा) तथा

(3) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 84-अनूपपुर के सदस्य श्री रामलाल रौतेल को दिसम्बर 2005-जनवरी 2006 सत्र की बैठकों से सदन की अनुमति से अनुपस्थिति की अनुज्ञा प्रदान की गई।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य ने उज्जैन जिले के :-

(क) ग्राम बेरछा में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले जाने,

(ख) ग्राम बेरछा के पास पुलिया बनाये जाने,

(ग) ग्राम भीकनपुर में विद्युत सब-स्टेशन बनाये जाने, तथा

(घ) ग्राम निपानिया स्थित माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत कीं।

7. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री धरमू राय, सभापति ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का चतुर्थ, पंचम्, षष्टम् सप्तम् एवं अष्टम् प्रतिवेदन,

(2) श्री दिलीप भटेरे, सभापति ने शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का पंचम्, षष्टम् सप्तम्, अष्टम्, नवम्, दशम् एवं एकादश प्रतिवेदन, तथा

(3) सुश्री निर्मला भूरिया, सभापति ने महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का दसवां प्रतिवेदन, प्रस्तुत किये।

8. वक्तव्य

श्री अनूप मिश्रा, जल संसाधन मंत्री ने दिनांक 26 जुलाई, 2005 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्रमांक 286) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री अजय विश्नोई, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) संशोधन विधेयक, 2005 (क्रमांक 25 सन् 2005), तथा

(2) श्री हिम्मत कोठारी, परिवहन मंत्री ने मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 26 सन् 2005),

सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किये.

10. वर्ष 2005-2006 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

"दिनांक 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 52, 55, 56, 59, 64, 66, 67, 69, 72, 76, 78, 79, 80, 82 तथा 95 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर तैंतालीस सौ नवासी करोड़ तैंतीस लाख, चालीस हजार, आठ सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री इन्द्रजीत कुमार

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(2) श्रीमती सुधा जैन (भाषण अपूर्ण)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(1.01 बजे से 2.32 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

श्रीमती सुधा जैन, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया।

(3) श्री राम लखन शर्मा

(4) डॉ सुनीलम्

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(5) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह

(6) श्री लाल सिंह आर्य

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(7) डॉ. गोविन्द सिंह

(अध्यक्षीय दीर्घा में माननीय सांसद श्री अशोक अर्गल की उपस्थिति पर सदन द्वारा उनका स्वागत किया गया)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(8) श्री बृजेन्द्र तिवारी

(9) श्री राजनारायण सिंह पुरनी

(10) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा

(11) श्री ओम प्रकाश सखलेचा

(12) श्री गजराज सिंह सिकरवार

(13) श्री रामनिवास रावत
(14) श्रीमती सरोज बच्चन नायक
(15) श्री शंकर लाल तिवारी
(16) श्री बृजमोहन धूत
(17) श्री नानालाल पाटीदार
(18) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष

(श्री रामलखन शर्मा, सदस्य नेता प्रतिपक्ष के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने के विरोध में गर्भगृह में आए तथा कुछ समय पश्चात् वापस अपने आसन पर चले गये)

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2006 (क्रमांक 1 सन् 2006) का पुरःस्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2006 (क्रमांक 1 सन् 2006) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

06.41 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 4 जनवरी, 2006 (पौष 14 , 1927) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.